

24/01/23

पत्रावली पेश हुई। वकील हाथी उप. अर्थात्
सं. 1,5 व 6 की ओर से कोई उप. नहीं।
अतः अर्थात् सं. 1,5 व 6 के विरुद्ध लु
पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली
वास्तु शेष अर्थात् जिन के जवाब देरि. 12/1/23
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

19/03/23

EN 177/2022

वकील हाथी द्वारा हा.पत्र अन्तर्गत द्वारा
151 सी. पी. सी. वास्तु पत्रावली तालब कर ले व्याहरण
करने वास्तु पेश करने के कारण पत्रावली आज
दिनांक को नियत तिथि से पूर्व पेश हुई। वकील
हाथीगिण एवं हाथीगिण द्वारा विवेक किया कि
हाथीगिण एवं अर्थात्गिण के मुख्य राजीनामा
हो गया है एवं उक्त हा.पत्र को आगे ही
पलाना चाहते हैं। अतः हाथीगिण का हा.पत्र
अन्तर्गत द्वारा 151 C.O. वास्तु पत्रावली
तालब कर ले व्याहरण करने वास्तु स्वीकार
किया जाता है एवं हाथीगिण का हाथीना पत्र
अन्तर्गत द्वारा 212 कर राज. कर. अधि. 1955 का
इसो अन्त पर धारित किया जाता है।
पत्रावली के हाल शुभर होकर पत्रावली
माभर से नम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

प्रम
अ.के. वरज
Jit Singh